5 नवंबर 2009 को आयोजित की जाने वालीअनुमोदन बोर्ड की 36वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 36.1 : अधिकृत गतिविधियों आदि जैसे मामलों पर विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की एक उप समिति को शक्तियों का प्रत्यायोजन

मौजूदा व्यवस्था के अनुसार एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) विभिन्न श्रेणी के प्रस्तावों पर विचार करता है और मंजूरी प्रदान करता है। इनमें सेक्टर के नाम में परिवर्तन, सह विकासकों का अनुमोदन तथा अधिकृत गतिविधियों की मंजूरी शामिल है। इनमें से अधिकांश प्रस्ताव नेमी हैं क्योंकि ये अनुमोदन बोर्ड द्वारा संबंधित एसईजेड की मंजूरी के बाद उत्पन्न होते हैं। माह में एक बार अनुमोदन बोर्ड की बैठक होती है और इन नेमी मामलों को अनुमोदन बोर्ड की बैठकों के आयोजन की प्रतीक्षा करनी होती है। मौजूदा व्यवस्था को सरल बनाने के लिए, ताकि बहु अधिक समय गंवाए बगैर ऐसे नेमी प्रस्ताव क्लियर किए जा सकें, ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की एक उप समिति गठित करने का प्रस्ताव है जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी :

1. **अपर सचिव / संयुक्त सचिव (एसईजेड), वाणिज्य विभाग - अध्यक्ष**
2. **अपर डीजीईपी - सदस्य**
3. **सीबीडीटी के प्रतिनिधि - सदस्य**
4. **डीजी, ईपीसीईएस - सदस्य**
5. **निदेशक (एसईजेड), वाणिज्य विभाग - सदस्य सचिव**

सह विकासकों की नियुक्ति, निर्धारित सीमा के अनुसार अधिकृत प्रचालनों की मंजूरी, नाम में परिवर्तन / कंपनी में परिवर्तन, एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती, सेक्टर / लोकेशन में परिवर्तन, औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाना तथा अन्य नेमी मामलों जैसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सामान्यतया सप्ताह में एक बार समिति की बैठक होगी।

प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की इस उप समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में उसके विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा जहां मतभेद, यदि कोई हो, होंगे।

मद संख्या 36.2 : सेवा कर के प्रतिदाय के प्रयोजनार्थ विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में विकासकों / सह विकासकों / यूनिटों द्वारा किए गए अधिकृत प्रचालनों के लिए एसईजेड के बाहर उपभोग की गई सेवाओं की डिफाल्ट सूची तैयार करना

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 9/2009-**सेवा कर दिनांक** 3 **मार्च** 2009 **और संख्या** 15/2009 - **सेवा कर दिनांक** 20 **मई** 2009 **के माध्यम से निर्धारित**

प्रक्रिया के अनुसार एसईजेड के विकासक / सह विकासक / यूनिटें एसईजेड के बाहर उपभोग की गई सेवाओं के लिए अधिकृत प्रचालनों के संबंध में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवाकर के प्रतिदाय के रूप में छूट का दावा करने के लिए हकदार हैं बशर्ते सेवाओं की सूची अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित हो। उपर्युक्त प्रक्रिया के फलस्वरूप विकास आयुक्त, फाल्टा ने कहा है कि विकासक अनुमोदन समिति की लगभग प्रत्येक बैठक में समिति के अनुमोदन के लिए एसईजेड के बाहर उपभोग की गई सेवाओं की विस्तृत सूची प्रस्तुत कर रहे हैं। विकास आयुक्त ने यह भी कहा है कि यदि बैठकों में सेवाकर आयुक्त अनुपस्थित होते हैं तो समिति को कठिनाई होती है। अत: विकास आयुक्त ने सेवाकर विभाग के परामर्श से डिफाल्ट सूची तैयार करने का सुझाव दिया है ताकि अनुमोदन समिति से संपर्क करने की बजाय विकासक / सह विकासक / यूनिटें सीधे सेवाकर विभाग से प्रतिदाय के लिए आवेदन कर सकें। तथापि, जो सेवाएं डिफाल्ट सूची के दायरे से बाहर हैं उनको अनुमोदन समिति के समक्ष रखना जारी रहेगा। विकास आयुक्त ने अनुबंध 'क' के अनुसार प्रारूप डिफाल्ट सूची का भी सुझाव दिया है। प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 36.3 : जोन के विस्तार के लिए कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र का अनुरोध

कोचीन एसईजेड ने एसईजेड के रूप में अधिसूचना के लिए कोच्चि के निकट पल्लीपुरम में लगभग 150-180 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह भूमि औद्योगिक विकास केन्द्र के विकास के लिए केरल सरकार के केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अधिग्रहीत की गई है तथा अप्रयुक्त पड़ी हुई है। केरल सरकार राजस्व हिस्सेदारी के रूप में क्रमबद्ध प्रतिफल के लिए भूमि का कब्जा सौंपने के लिए तैयार है। यह भूमि मौजूदा जोन से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है।

बताया गया है कि कोचीन एसईजेड में स्थान के लिए निरंतर मांग है और कोचीन एसईजेड में स्थान के लिए यूरोप और यूएस के अनेक निवेशकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, मौजूदा जोन में स्थान के अभाव में ऐसे अनुरोधों को अस्वीकार करना पड़ा था। केरल सरकार एसईजेड में निवेश को बढ़ावा दे रही है परंतु किसी अन्य विनिर्माण एसईजेड के अभाव में क्षेत्र विशिष्ट या बहु उत्पाद कंपनी के लिए कोचीन एसईजेड एकमात्र लाभप्रद विकल्प बचा है। प्रस्ताव एसईजेड के विकास को गति प्रदान करने में समर्थ होगा तथा केरल में बाहरी निवेश बढ़ाने में समर्थ होगा। सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है ताकि मामले को आगे बढ़ाया जा सके। 23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मामले पर चर्चा हुई तथा बोर्ड ने नोट किया था कि कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र सरकारी क्षेत्र है और प्रस्ताव मौजूदा जोन से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 150-180 एकड़ भूमि शामिल करके क्षेत्र के विस्तार के लिए है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए कोचीन एसईजेड का विस्तार करने की आवश्यकता है, इसलिए केरल सरकार भी केन्द्र सरकार के एसईजेड को भूमि

आवंटित करने पर अनुकूल ढंग से विचार करेगी। कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र के फेज-2 के रूप में अतिरिक्त क्षेत्र को अनुमोदित करने के लिए यह अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 36.4 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	राज्य कोड	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश	आवेदन की स्थिति
i.	लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड	कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु	टीएन	आईटी / आईटीईएस	11.0388	हां	हां	**11 अगस्त 2009 को आयोजित बैठक में आस्थगित कर दिया गया था

** कब्जा / स्वामित्व के दस्तावेजों का रूपांतरण अब प्राप्त हो गया है।

मद संख्या 36.5 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) सिपकॉट द्वारा इरुंगट्टोकोट्टई, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में विकसित फुटवियर और लेदर उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 7 **फरवरी** 2008 **को** 62.22 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। मैसर्स फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान ने फुटवियर चमड़ा उत्पाद प्रौद्योगिकी, डिजाइन, परीक्षण तथा रिटेल एवं फैशन प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए उपयुक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच समझौता ज्ञापन दिनांक** 22 **सितंबर** 2009 **उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन प्रस्तुत है।**

(ii) भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा भड़ूच, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड 1718-93-87 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 20 **दिसंबर** 2006 **को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड ने एसईजेड में दो हेक्टेयर की भूमि में गैस के पारेषण के लिए गैस पाइप लाइन अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।**

विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 27 जुलाई 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) खराडी गांव, मुलशी तालुक, पुणे जिला, महाराष्ट्र में मैसर्स एयॉन खराडी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मैपलट्री मारीशस 2 लिमिटेड (एमएमएल) का अनुरोध

मैसर्स एयॉन खराडी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खराडी गांव, मुलशी तालुक, पुणे जिला, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 18 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 28 दिसंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स मैपलट्री मारीशस 2 लिमिटेड (एमएमएल) ने उक्त एसईजेड में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 9 सितंबर 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 36.6 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) सेक्टर की ब्राड बैंडिंग / परिवर्तन के लिए मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए एलओए दिनांक 25 अक्टूबर 2006 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। उक्त एसईजेड 10.49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 10 जुलाई 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने कहा है कि चूंकि एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 5 (2) (ख) आवेदक को आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए अनन्य रूप से क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है, बशर्ते उक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए क्षेत्रफल 1 लाख वर्गमीटर के न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ 10 हेक्टेयर या अधिक हो, इसलिए वे चाहते हैं कि उनके क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 'आईटी / आईटीईएस एसईजेड' से संशोधित करके 'आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड' किया जाए। अत: विकासक ने आईटी / आईटीईएस से आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर में परिवर्तन को अनुमोदित करने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) उड्डुपी कंकसा, पानागढ़, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस क्षेत्र को सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स एनफील्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एनफील्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा उडुपी कंकसा, पानागढ़, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 28.972 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 24 अगस्त 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने अब कहा है कि अधिक आपूर्ति के कारण आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए स्थान की मांग घट गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि एसईजेड का लोकेशन टियर-2 सिटी में लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है। कोलकाता एयरपोर्ट से दूर होने के कारण उक्त सेक्टर में परियोजना का विपणन करना बहुत कठिन है और साथ ही राज्य में सौर उपकरण / सेल विनिर्माण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए स्थान की मांग बढ़ रही है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके सेक्टर का नाम आईटी / आईटीईएस सेक्टर से बदलकर सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा सेक्टर किया जाए। विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) सेक्टर की ब्राड बैंडिंग / परिवर्तन के लिए मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई। आईटी / आईटीईएस के रूप में उक्त एसईजेड 17.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 19 नवंबर 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने कहा है कि चूंकि एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 5 (2) (ख) आवेदक को आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए अनन्य रूप से क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है, बशर्ते उक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए क्षेत्रफल 1 लाख वर्गमीटर के न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ 10 हेक्टेयर या अधिक हो, इसलिए वे चाहते हैं कि उनके क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 'आईटी / आईटीईएस एसईजेड' से संशोधित करके 'आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड' किया जाए। अत: विकासक ने आईटी / आईटीईएस से आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर में परिवर्तन को अनुमोदित करने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर को शामिल करके क्षेत्र को परिवर्तित करने के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए एलओए दिनांक 16 जून 2006 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। उक्त एसईजेड 16 नवंबर 2006 को 22.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। विकासक ने कहा है कि चूंकि एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 5 (2) (ख) आवेदक को आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए अनन्य रूप से क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए आवेदन

करने की अनुमति प्रदान करता है, बशर्ते उक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए क्षेत्रफल 1 लाख वर्गमीटर के न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ 10 हेक्टेयर या अधिक हो, इसलिए वे चाहते हैं कि उनके क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 'आईटी / आईटीईएस एसईजेड' से संशोधित करके 'आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड' किया जाए। अत: विकासक ने आईटी / आईटीईएस से आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर में परिवर्तन को अनुमोदित करने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 36.7 : अनुमोदन को वापस लेना

(i) गधिंगलज, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र में मेटल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स ग्रेमैच इनफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को प्रदान किया गया औपचारिक अनुमोदन वापस लेना

एलओए दिनांक 25 अगस्त 2008 के माध्यम से 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गधिंगलज, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र में मेटल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स ग्रेमैच इनफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विकासक ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से आर्थिक स्थिति बदल जाने के कारण उनके प्रस्तावित एसईजेड की वित्तीय संभाव्यता संशोधित की गई है। इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) चेंगलपेट, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु में सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड को प्रदान किया गया औपचारिक अनुमोदन वापस लेना

एलओए दिनांक 30 मई 2006 के माध्यम से 105.62 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चेंगलपेट, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विकासक ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण के संबंध में कुछ समस्याओं के कारण वे परियोजना को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) नंबर 5, सीएमडीए इंडस्ट्रियल एस्टेट, मरामलाई नगर, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

एलओए दिनांक 25 जून 2007 के माध्यम से नंबर 5, सीएमडीए इंडस्ट्रियल एस्टेट, मरामलाई नगर, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 10.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विकासक ने कहा है कि साफ सुथरी एवं सन्निकट भूमि की उपलब्धता में कुछ समस्याओं के कारण वे परियोजना को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि वे एसईजेड अधिनियम / नियमावली के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स नितेश एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक 27 फरवरी 2009 के माध्यम से मंगलौर, कर्नाटक में 10.1214 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स नितेश एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विकासक ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण उक्त परियोजना के लिए उनका निवेशक उक्त एसईजेड के निष्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) जालना औद्योगिक क्षेत्र, जालना, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

एलओए दिनांक 19 जून 2006 के माध्यम से 40.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जालना औद्योगिक क्षेत्र, जालना, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने विकासक को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को निरस्त करने के लिए विकासक के अनुरोध को संदर्भित किया है और कहा है कि वे औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने से सहमत हैं क्योंकि उक्त एसईजेड के लिए प्रस्तावित भूमि जालना जैव प्रौद्योगिकी पार्क में जैव प्रौद्योगिकी यूनिटें स्थापित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी के उद्योग को पहले ही आवंटित कर दी गई है और इस समय इस एसईजेड के लिए जालना औद्योगिक क्षेत्र में कोई भारमुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) काकानाड, केरल में मैसर्स इनफोपार्क द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

एलओए दिनांक 7 **अक्टूबर** 2008 **के माध्यम से एर्नाकुलम जिला**, **केरल में मैसर्स इनफोपार्क द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस एसईजेड में आईटी अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए मैसर्स ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड को सह विकासक के रूप में मंजूरी प्रदान की गई थी। विकास आयुक्त** (**आईटी / आईटीईएस**) **ने सूचित किया है कि सह विकासक ने वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने यह भी कहा है कि यूनिट के निर्दिष्ट अधिकारी ने सूचित किया है कि उपर्युक्त एसईजेड के लिए सह विकासक ने माल के आयात / प्रापण पर कोई शुल्क छूट / रियायत प्राप्त नहीं की है। इनफोपार्क एसईजेड से उनकी परियोजना को वापस लेने के लिए सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

(vii) कंकसा, पानगढ़, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स एनफील्ड रियल्टर्स लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

एलओए दिनांक 23 **मई** 2007 **के माध्यम से** 10 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कंकसा**, **पानगढ़**, **जिला बर्दवान**, **पश्चिम बंगाल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स एनफील्ड रियाल्टर्स लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विकासक ने औपचारिक मंजूरी को वापस लेने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने मंजूरी को वापस लेने के लिए कोई कारण नहीं दिया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

(viii) तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब में टेक्सटाइल क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स मृदुल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी वापस लेना

मैसर्स मृदुल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तहसील राजपुरा, **जिला पटियाला**, **पंजाब में टेक्सटाइल क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को** 8 **अगस्त** 2006 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी।** 21 **अगस्त**, 2006 **को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। प्रस्ताव** 2 **जून**, 2009 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में सूचीबद्ध किया गया था। राज्य सरकार के अनुरोध पर इसे आस्थगित कर दिया गया था। विकासक ने कहा है कि राज्य एसईजेड नीति को वापस ले लिए जाने के कारण तथा राज्य एसईजेड अधिनियम के अभाव में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण भी उन्होंने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

(ix) तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स विविध इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी वापस लेना

मैसर्स मृदुल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को 8 अगस्त 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 21 अगस्त, 2006 को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। प्रस्ताव 2 जून, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में सूचीबद्ध किया गया था। राज्य सरकार के अनुरोध पर इसे आस्थगित कर दिया गया था। विकासक ने कहा है कि राज्य एसईजेड नीति को वापस ले लिए जाने के कारण तथा राज्य एसईजेड अधिनियम के अभाव में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण भी उन्होंने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(x) मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवपलमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक मैसर्स अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक 29 अक्टूबर 2009 के माध्यम से मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में 6.2654 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सुविधाओं के विकास के लिए मैसर्स अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी लिमिटेड को सह विकासक के रूप में मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद सह विकासक को एलओए दिनांक 27 फरवरी 2009 के माध्यम से प्रसंस्करण क्षेत्र में कुछ अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई थी। सह विकासक ने कहा है कि एसईजेड में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए 27 फरवरी 2009 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार उनके अधिकृत प्रचालनों के विकासक / सह विकासक द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र की श्रेणी 1 के तहत अर्हक होने की संभावना है जिसके लिए उक्त दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि सुविधा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में होनी चाहिए। चूंकि उनको आवंटित भूमि प्रसंस्करण क्षेत्र का हिस्सा है इसलिए विकासक ने उनसे एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में यूनिट के रूप में काम करने के लिए कहा है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए वे एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन कर चुके हैं और इसलिए एलओए दिनांक 29 जनवरी 2009 के माध्यम से प्रदान किए गए सह विकासक के दर्जे को वापस लेने का अनुरोध किया है। सह विकासक के रूप में इनफोपार्क एसईजेड से उनकी परियोजना को वापस लेने के लिए मैसर्स अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी लिमिटेड का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 36.8 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 8 मामले प्राप्त हुए हैं। अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठकों में 81 मामलों को एक साल के लिए समय विस्तार पहले ही प्रदान किया जा चुका है। एक साल के लिए अवधि बढ़ाने हेतु ये मामले भी अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

(i) चिरावत गांव, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में रत्न एवं आभूषण एसईजेड के लिए 24 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का अनुरोध

(ii) विलायत जीआईडीसी, वागरा तालुक, भड़ूच जिला, गुजरात में रसायन एसईजेड के लिए 20 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जुबिलिएंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

(iii) गांधीनगर, गुजरात में ईएचटीपी / आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 12 जुलाई 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) का अनुरोध

(iv) अहमदाबाद, गुजरात में अपैरल एसईजेड के लिए 11 जुलाई 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) का अनुरोध

(v) कोलापट्टी गांव, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 24 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बन्नारी टेक्नो पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) अट्टीप्रा गांव, त्रिवेंद्रम तालुक, त्रिवेंद्रम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 19 जनवरी 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क्स-केरल का अनुरोध

(vii) वल्लनचेरी गांव, चेंगलपेट तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड के लिए 24 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अरुण एक्सेलो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) केसरपल्ली, गन्नावरम मंडल, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 21 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एन एंड टी हाइटेक सिटी लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 36.9 : क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध

(i) कोयंबटूर के पास कीरांथम गांव, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

उक्त एसईजेड 47.32 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया है। विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में भूमि के दो और टुकड़ों को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूखंड अधिसूचित क्षेत्र से सटे हैं तथा निरंतरता बनाए रखने के लिए उनकी घेराबंदी की जा सकती है। रिपोर्ट यह पुष्टि करती है कि भूमि विकासक के कब्जे में और यह भी कहती है कि दोनों छोर क्लियर, रिक्त हैं तथा उन पर कोई संरचना, रास्ता आदि नहीं है। एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक के अनुरोध पर 2 जून 2009 को अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया गया। अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया क्योंकि विकासक ने बढ़ाए जाने वाले क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं किया था। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि विकासक सटीक क्षेत्रफल के साथ वापस आ सकता है। अब विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि कुल 3.93.5 हेक्टेयर भूमि बढ़ाई जानी है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) कंकसा, पानागढ़, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एनफील्ड एनर्जी लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एनफील्ड एनर्जी लिमिटेड द्वारा कंकसा, पानागढ़, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा एसईजेड 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 10 फरवरी 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड के 10.12 हेक्टेयर के अधिसूचित क्षेत्रफल में 11.42 हेक्टेयर की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 21.54 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने कहा है कि कंकसा, पानागढ़, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में जैव प्रौद्योगिकी एसईजेड के लिए एलओए दिनांक 23 मई 2007 के माध्यम से प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी के प्रस्तावित अभ्यर्पण के कारण भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है [(मद संख्या 36.7 क्र. सं. (vii) भी देखें]। क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स मायर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स मायर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 12.4928 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 9 सितंबर 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने कहा है कि उपर्युक्त अधिसूचना में रेक्टेंगल नंबर 34 के किल्ला नंबर 14/1 का क्षेत्रफल 0.1568 हेक्टेयर से घटाकर 0.0911 हेक्टेयर और रेक्टेंगल नंबर 34 के किल्ला नंबर 16 (एस एंड जी) का क्षेत्रफल 0.3390 से बढ़ाकर 0.404 हेक्टेयर किया गया है। उपर्युक्त भूमि की तकसीम के कारण यह स्वैपिंग है। एसईजेड को तकनीकी - वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से विकासक ने उक्त एसईजेड में 2.59 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि शामिल करने का अनुरोध किया है। विकासक ने तहसीलदार द्वारा जारी किए गए बिक्री विलेख, पट्टा विलेख, गैर भारग्रस्तता प्रमाण पत्र, कब्जा प्रमाण पत्र, स्वामित्व रिक्ति, सन्निकटता प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 36.10 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) कोंडाकल गांव, शंकरपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में अधिसूचित सेवा एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स लहरी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स लहरी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा कोंडाकल गांव, शंकरपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में सेवाओं के लिए 108.99 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 14 सितंबर 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने यह कहते हुए उक्त एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि संभावित ग्राहकों के व्यवसाय और अर्थव्यवस्था दोनों में मंदी, समग्र उद्योग में तरलता की कमी के कारण वे एसईजेड में भवन की गतिविधि शुरू करने के लिए कोई संज्ञानात्मक कदम उठाने की स्थिति में नहीं हैं। विमुक्त करने के लिए अनुरोध विकास आयुक्त, वीएसईजेड से प्राप्त हुआ है जिन्होंने पुष्टि की है कि विकासक और सह विकासक ने कोई ड्यूटी फ्री आयातित / देशज सामग्री अधिप्राप्त नहीं की है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 36.11 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटी लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 13 अप्रैल 2007 को 10.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड को 11 अगस्त 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया है। सह विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्र
1.	गैस जेनरेशन सेट का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन	4 मिलियन वर्ग फीट (1 मिलियन वर्ग फीट = 12 मेगावाट) 4x12 मेगावाट = 48 मेगावाट
2.	चिल्ड वाटर का प्रयोग करके एयरकंडिशनिंग	4 मिलियन वर्ग फीट

(ii) साई गांव, पनवेल तालुक, रायगड जिला, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा साई गांव, पनवेल तालुक, रायगड जिला, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 45.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 4 मई 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	औचित्य
1.	तौल सेतु	40 फीट / 20 फीट के ट्रालर्स का हैवी मूवमेंट होगा जिनकी एफटीडब्ल्यूजेड में प्रवेश और निकास के समय तौल करने की आवश्यकता होगी। तद्नुसार इन वाहनों के प्रचालन और मूवमेंट के लिए ईंधन की भी आवश्यकता होगी।
2.	(ix)	

(iii) तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सीसीसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सीसीसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में 179.145 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड 23 अप्रैल 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

प्रसंस्करण क्षेत्र

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	भवन क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
1	परीक्षण प्रयोगशाला	2000
2	ट्रक तौल स्टेशन	100
3	आइस मेकिंग प्लांट	2400
4	कोल्ड स्टोरेज प्लांट	10000
5	साझी विभासन सुविधा	3000
6	सेंट्रल वेयरहाउसिंग / डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर	20000
7	पैकेजिंग सेंटर	10000
8	डीज़ल जेनरेटर	3600
9	स्टीम जेनरेटर	3600
10	वाच टावर सहित सिक्योरिटी / अक्सेस कंट्रोल सिस्टम	1000
11	प्रशासन / प्रबोधन / प्रशिक्षण केन्द्र	4300
12	रिचार्जिंग स्टेशन तथा अनुरक्षण भवन के साथ शटल ट्रांजिट सिस्टम एवं कार / बस टर्मिनल	1000
13	ट्रकर्स / ड्राइवर्स लांज	250
14	विजिटर / ट्रक ईंधन स्टेशन	500
15	कैफेटीरिया (फुल सर्विस) / वेंडर्स फूड कोर्ट	6600
	कुल	**72000**

(iv) तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड द्वारा तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में 10.24.225 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** 23 **जनवरी** 2009 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	सम्मेलन केन्द्र	4,200

(v) सोहना तहसील, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीएसआई फिनलीज एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध गुड़गांव, हरियाणा

मैसर्स जीएचआई फिनलीज एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड द्वारा सोहना तहसील, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 12.936 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड** 3 **दिसंबर** 2007 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	मल्टी पर्पज हाल	3000
2.	कैफेटीरिया / फूड कोर्ट / रेस्टोरेंट	2000
3.	बैंक / एटीएम	500
4.	मनोरंजन (क्लब एवं जिम)	2000
5.	प्रशासन / राज्य प्रबंध	1000

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	वाणिज्यिक कार्यालय एवं शॉपिंग	15000
2.	आवासीय क) प्रत्येक 60 मीटर की 150 यूनिटें ख) प्रत्येक 100 मीटर की 432 यूनिटें ग) प्रत्येक 140 मीटर की 520 यूनिटें घ) प्रत्येक 180 मीटर की 100 यूनिटें	143000
3.	सर्विस अपार्टमेंट	4500
4.	क्लब	500
5.	स्कूल	3000

(vi) कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स रतिनाम अरुमुगम रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 10 **जुलाई** 2007 **को** 10.49 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। मैसर्स रतिनाम अरुमुगम रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन को** 11 **अगस्त** 2009 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया है। सह विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
	I. रहने की सुविधाएं	
1.	सर्विस अपार्टमेंट - 50	4,647
2.	हॉस्टल रूम - 300	6,970
3.	अतिथि गृह – 20	2,788
	II. स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाएं	
4.	100 बिस्तर वाला अस्पताल	2,323
	III. शिक्षा की सुविधाएं	
5.	स्कूल, कॉलेज एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण	18,587
	IV. मनोरंजन की सुविधाएं	

6.	फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग एवं गेमिंग सेंटर	5,111

(vii) भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स दाहेज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 20 **दिसंबर** 2006 **को** 1718-93-87 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। मैसर्स दाहेज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड को** 11 **अगस्त** 2009 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया है। सह विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्र
1.	कनफ्रेंस हॉल, मीटिंग रूम, ब्रेकआउट एरिया आदि के साथ कुल 600 व्यक्तियों की क्षमता वाला सम्मेलन केन्द्र	25,000 वर्ग फीट
2.	100 कमरों वाला होटल, 2 रेस्टोरेंट, बिजनेस सेंटर, स्वीमिंग पूल आदि	61,000 वर्ग फीट
3.	कार्यालय स्थान	1,38,400 वर्ग फीट
4.	150 सर्विस अपार्टमेंट	1,54,200 वर्ग फीट
5.	जूस बार, योग सेंटर, स्पा, इंडोर स्पोर्ट्स - बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, कार्ड रूम, चेस आदि के साथ क्लब	33,300 वर्ग फीट

(viii) गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स विप्रो लिमिटेड द्वारा गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 20.23 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** 18 **जून** 2007 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों** (**डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों से भिन्न**) **के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	ईंधन भंडारण एवं वितरण प्रणाली	462
2.	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि आटोमेटेड टेलर मशीन, शॉपिंग स्टाल, लाइब्रेरी	8289
3.	कैंटीन, कैफेटीरिया, फूड कोर्ट, कॉफी शॉप, आइसक्रीम पार्लर, जूस कार्नर, रिटेल स्पेस सहित फूड सर्विस	20587
4.	लैंडस्केपिंग	27775
5.	गेस्ट ब्लॉक जिसमें लगभग 300 कमरे होंगे	17374
6.	क्लब हाउस, हेल्थ क्लब तथा स्वीमिंग पूल सहित मनोरंजन की सुविधाएं	4131

(ix) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स विप्रो लिमिटेड द्वारा बंगलौर, कर्नाटक में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 20.23 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 7 **जुलाई** 2006 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	ईंधन भंडारण एवं वितरण प्रणाली	116
2.	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि आटोमेटेड टेलर मशीन, शॉपिंग स्टाल, लाइब्रेरी	2075
3.	कैंटीन, कैफेटीरिया, फूड कोर्ट, कॉफी शॉप, आइसक्रीम पार्लर, जूस कार्नर, रिटेल स्पेस सहित फूड सर्विस	4700
4.	रिटेल स्पेस	500
5.	लैंडस्केपिंग	7000
6.	क्लब हाउस, हेल्थ क्लब सहित मनोरंजन की सुविधाएं	1050

(x) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स विप्रो लिमिटेड द्वारा हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 6.48 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 31 **जुलाई** 2006 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	ईंधन भंडारण एवं वितरण प्रणाली	116
2.	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि आटोमेटेड टेलर मशीन, शॉपिंग स्टाल, लाइब्रेरी	2075
3.	कैंटीन, कैफेटीरिया, फूड कोर्ट, कॉफी शॉप, आइसक्रीम पार्लर, जूस कार्नर सहित फूड सर्विस	5200
4.	रिटेल स्पेस	500
5.	लैंडस्केपिंग	4000
6.	गेस्ट ब्लॉक जिसमें लगभग 100 कमरे होंगे	6100
7.	क्लब हाउस सहित मनोरंजन की सुविधाएं	1050

(xi) नागपुर, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुयोग रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सुयोग रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 17.189 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 27 **अक्टूबर** 2008 **को अधिसूचित किया गया था।**

विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है:

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	आवासन एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 420 ड्वेलिंग यूनिट के साथ 10 टावर वाले टाइप ए अपार्टमेंट	22260
2.	आवासन एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 42 ड्वेलिंग यूनिट के साथ 1 टावर वाले टाइप बी अपार्टमेंट	2013.55
3.	आवासन एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 420 ड्वेलिंग यूनिट के साथ 15 टावर वाले टाइप सी अपार्टमेंट	25210.50

(xii) डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 10.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 13 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। एलओए दिनांक 30 जून 2009 के माध्यम से विकासक को गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों को संचालित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान	12,000
2.	सर्विस अपार्टमेंट	15,000

अब विकासक ने उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों के स्थान पर गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	वाणिज्यिक परिसर / कार्यालय स्थान	41,200

मद संख्या 36.12 : एलओए की शर्तों में ढील देने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड को एलओए दिनांक 30 जुलाई 2007 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। उपर्युक्त एसईजेड 1233.6767 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 21 नवंबर 2007 को अधिसूचित किया गया था। औपचारिक मंजूरी प्रदान करते समय सन्निकटता की शर्त में ढील प्रदान की गई थी तथा यह शर्त रखी गई थी विकासक डेडीकेटेड सिक्योरिटी गेट / ओवर ब्रिज / अंडर पास के माध्यम से सन्निकटता स्थापित करेगा तथा

रेलवे ट्रैक और सड़कों के दोनों ओर 2.40 मीटर ऊंची फेंसिंग / चेन लिंक फेंसिंग करेगा तथा 0.60 मीटर की कटीले तार की फेंसिंग भी करेगा [शर्त संख्या (i)]। एलओए की शर्त संख्या (iv) में इस बात का भी उल्लेख था कि एनएमएसईजेड में किसी एसईजेड यूनिट के लिए एलओए तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि सन्निकटता स्थापित करने और प्रसंस्करण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सभी उपाय पूरे नहीं हो जाते हैं। उपर्युक्त शर्तों को ध्यान में रखते हुए विकासक से एसईजेड में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 3 रोड ओवर ब्रिज / फ्लाईओवर तथा 5 वाहन अंडर पास का निर्माण करने की अपेक्षा थी जिसका उल्लेख नीचे किया गया है :

क्र. सं.	संपर्क के उपायों का विवरण	संपर्क क्षेत्र
1.	वाहन अंडर पास (वीयूपी-1)	प्रसंस्करण क्षेत्र से प्रसंस्करण क्षेत्र तक
2.	वाहन अंडर पास (वीयूपी-2)	प्रसंस्करण क्षेत्र से प्रसंस्करण क्षेत्र तक
3.	वाहन अंडर पास (वीयूपी-3)	प्रसंस्करण क्षेत्र से प्रसंस्करण क्षेत्र तक
4.	वाहन अंडर पास (वीयूपी-4)	प्रसंस्करण क्षेत्र से गैर प्रसंस्करण क्षेत्र तक
5.	वाहन अंडर पास (वीयूपी-5)	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र से गैर प्रसंस्करण क्षेत्र तक
6.	फ्लाईओवर 1	प्रसंस्करण क्षेत्र से प्रसंस्करण क्षेत्र तक
7.	फ्लाईओवर 2	प्रसंस्करण क्षेत्र से प्रसंस्करण क्षेत्र तक
8.	फ्लाईओवर 3	प्रसंस्करण क्षेत्र से गैर प्रसंस्करण क्षेत्र तक

विचार के लिए प्रस्तुत वर्तमान प्रस्ताव में विकासक ने कहा है कि अंडर पास और फ्लाई ओवर के निर्माण पर उनको लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। संपूर्ण क्षेत्र की सन्निकटता सुनिश्चित करने में निवेश करने की बजाय वे केवल प्रसंस्करण क्षेत्र की सन्निकटता स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि सीमा शुल्क के प्रयोजनार्थ केवल इनको सुरक्षित करने की आवश्यकता है। चूंकि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निर्माण / प्रोसेसिंग / ट्रेडिंग की कोई गतिविधि शामिल नहीं है, इसलिए यह समान आवश्यकता के अधीन नहीं होना चाहिए, तद्नुसार प्रसंस्करण क्षेत्र को गैर प्रसंस्करण क्षेत्र से तथा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र को गैर प्रसंस्करण क्षेत्र से जोड़ने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अलग से विकासक ने माल के मूवमेंट के लिए अनेक इंट्री / एग्जिट प्वाइंट के लिए भी अनुरोध किया है, दो प्रसंस्करण क्षेत्रों को स्काई वाक के माध्यम से जोड़ा जा सकता है जो उनकी राय में सन्निकटता की आवश्यकताओं को पूरी करेगा। तद्नुसार उन्होंने मूलतः प्रस्तावित एवं अनुमोदित दो फ्लाई ओवर के स्थान पर दो स्काई वाक की मांग की है।

इसके अलावा उन्होंने 7 **मल्टिपल इंट्री / एग्जिट गेट के लिए भी अनुरोध किया है। तद्नुसार विकासक द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं** :

क) सन्निकटता सुनिश्चित करने के लिए मूलत: लगाई गई शर्त में ढील देना;

ख) अंडर पास के निर्माण की शर्त में ढील देना, जिसके लिए उन्होंने ग्राउंड पर सुरक्षित संपर्क का सुझाव दिया है; और

ग) द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में उनके बहु उत्पाद एसईजेड में 7 **मल्टी इंट्री / एग्जिट प्वाइंट के निर्माण के लिए अनुमोदन (उपर्युक्त ख के माध्यम से मांगी गई छूट को ध्यान में रखते हुए);**

घ) प्रसंस्करण क्षेत्रों के बीच सन्निकटता स्थापित करने के लिए फ्लाईओवर के स्थान पर दो स्काई वाक को मंजूरी प्रदान करना।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 36.13 : अतिरिक्त फाटकों के लिए अनुरोध

(i) बंगलौर, कर्नाटक में उनके आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड में मल्टी इंट्री / एग्जिट प्वाइंट के लिए मैसर्स विकास टेलीकाम लिमिटेड का अनुरोध

बंगलौर, कर्नाटक में 8 **सितंबर** 2006 **और** 28 **सितंबर** 2008 **को क्रमश:** 36.85 **हेक्टेयर और** 1.36 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड अधिसूचित किया गया था। इसके बाद** 5.99 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विकासक ने अपने एसईजेड में यह कहते हुए तीन इंट्री और एग्जिट प्वइंट के लिए अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है कि पीक आवर्स के दौरान वाहनों का हैवी मूवमेंट होता है जिससे इस समय एकल इंट्री और एग्जिट प्वाइंट से वाहनों के मूवमेंट को नियंत्रित करना अपर्याप्त है। उन्होंने वाहनों के वर्तमान मूवमेंट पर एक ट्रैफिक सर्वे भी कराया है तथा यातायात परामर्शदाता ने भी पार्क के लिए कम से कम तीन गेट होने की सिफारिश की है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

मद संख्या 36.14 : सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाना

सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश / मानदंड 15 **जनवरी** 2009 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किए गए** :

एसईजेड का प्रकार	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (1)	दूसरी बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (2)
न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल की आवश्यकता वाले आईटी / आईटीईएस	अपनी 12वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा	ऐसे मामलों में दूसरी बार अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी।

/ रत्न एवं आभूषण / बायोटेक / गैर परंपरागत ऊर्जा एसईजेड आदि तथा स्टैंड एलॉन एफटीडब्ल्यूजेड	निर्धारित की गई शर्तें	
उपर्युक्त से भिन्न क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड	अपनी 12वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तें	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा विकासक द्वारा 60 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण / कब्जा होना चाहिए
बहु उत्पाद	अपनी 12वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तें	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा विकासक द्वारा 50 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण / कब्जा होना चाहिए

2. **यह भी निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में उपर्युक्त मापदंड पूरे नहीं होंगे उनको अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।**

3. **अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड नियमावली** 2006 **के अनुसार सैद्धांतिक अनुमोदन एक साल के लिए मान्य है तथा सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है। अनिवार्य अधिग्रहण को निषिद्ध करने के संबंध में ईजीओएम के निर्णय के आलोक में, तीन साल की अवधि के अंदर** 1000 **हेक्टेयर सन्निकट भूमि का अधिग्रहण करना कठिन हो सकता है। बहु उत्पाद एसईजेड के मामले में तीन साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड ने संगत नियम में संशोधन करने हेतु कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि ऐसा प्रावधान शामिल किया जा सके। अनुमोदन बोर्ड के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एसईजेड में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव किया गया है** :

नियम 6 **के उपबंध** (**ख**) **में परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा** :

"परंतु यह कि बोर्ड विकासक द्वारा फार्म एम में आवेदन प्राप्त होने पर वैधता अवधि बढ़ा सकता है तथा कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। आवेदन क्षेत्रीय विकास आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा जो अपनी सिफारिशों के साथ उसे बोर्ड को अग्रेषित करेंगे।"

(i) श्रेणी 1 के मामले जो उपर्युक्त मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं :

निम्नलिखित 2 **मामले उपर्युक्त मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं तथा दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत हैं** :

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	नासिक मल्टी सर्विसेज एसईजेड लिमिटेड	मल्टी सर्विसेज, 100 हेक्टेयर	नासिक, महाराष्ट्र	एलओए दिनांक 26 जून 2007 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अनुमोदन 25 जून 2008 तक वैध था। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 23 दिसंबर 2008 को (अर्थात एलओए की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद) एलओए के विस्तार के लिए एडीसी, एसईईपीजेड एसईजेड को आवेदन प्रस्तुत किया है। विकासक ने यह कहते हुए एलओए की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से बीटीएएल अनुमति प्राप्त की है तथा उन्होंने भूमि का अधिग्रहण शुरू कर दिया है और कुल अधिग्रहण में से 60 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण हो चुका है।
2.	एसईजेड इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स	इंजीनियरिंग सेक्टर, 105 हेक्टेयर	हावड़ा जिला, पश्चिम बंगाल	एलओए दिनांक 25 अक्टूबर 2006 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद एक बार अवधि बढ़ाई भी गई थी। अनुमोदन 24 अक्टूबर 2008 तक वैध था। विकासक ने यह कहते हुए एलओए की अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि नंदीग्राम और सिंगूर में राजनीतिक आंदोलन के कारण उनको भूमि खरीदने की प्रक्रिया धीमी करनी पड़ी है। उन्होंने यह भी कहा है कि तीन माह से राज्य सरकार ने सुधार के लिए सभी भूमि अभिलेखों को वापस ले लिया है तथा यह कि उन्होंने दीर्घ अवधि के पट्टे पर भूमि आवंटित करने के लिए अपना अनुरोध पुन: प्रस्तुत किया है तथा यह प्रक्रियाधीन है।

(ii) तीसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए श्रेणी II के मामले

निम्नलिखित 4 अनुरोधों में दो बार पहले ही अवधि बढ़ाई जा चुकी है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है। प्रस्तावित संशोधन के आलोक में तीसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत हैं :

क्र. सं.	विकासक का नाम	एसईजेड का सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	मैसर्स मुंबई एसईजेड लिमिटेड	बहु उत्पाद, 5000 हेक्टेयर	खोप्टा, जिला रायगड, महाराष्ट्र	8 अगस्त 2006 को प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद दो बार अवधि बढ़ाई भी गई थी। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 7 अगस्त 2009 तक वैध थी। विकासक ने कहा है कि उन्होंने लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं / खर्च करने की प्रतिबद्धता की है, जिसमें से 110 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण की लागत के

				लिए किया गया है और भूस्वामियों को 500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। भूस्वामियों की सहमति से भूमि का अधिग्रहण करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं तथा विकासक राज्य सरकार की अनुमति से 4800 करोड़ रुपए के भुगतान के साथ बिक्री के लिए करार को निष्पादित करने में समर्थ हुआ है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकासक ने अनुरोध किया है कि सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक और साल के लिए अर्थात 7 अगस्त 2010 तक बढ़ाई जाए। महाराष्ट्र सरकार ने भी अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।
2.	महिंद्रा वर्ल्ड सिटी	बहु उत्पाद, 1000 हेक्टेयर	कारला (लोनावाला के निकट), महाराष्ट्र	3 अप्रैल 2006 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद दो बार अवधि बढ़ाई भी गई थी। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 2 अप्रैल 2009 तक वैध थी। विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है तथा अन्य बातों के साथ यह कहा है कि महाराष्ट्र सरकार तथा महिंद्रा और उनकी प्रमोटर कंपनी महिंद्रा (एम एंड एम) के बीच राज्य सहायता करार (एसएसए) पर 24 मार्च 2006 को हस्ताक्षर हो गए हैं तथा एमआईडीसी ने अधिग्रहण के लिए क्षेत्र की शिनाख्त करने के बाद एमआईडी अधिनियम के तहत अध्याय 6 की अधिसूचना जारी की है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे तैनाती प्रक्रिया में अच्छी प्रगति कर रहे हैं और उन्हें भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने और पूरी होने की उम्मीद है। इस प्रक्रिया में परियोजना के सभी हितधारकों, जिनकी संख्या 3000 से अधिक है, के साथ लगातार एवं सक्रिय भागीदारी शामिल है।
3.	तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बहु उत्पाद, 1100 हेक्टेयर	कृष्णागिरि, तमिलनाडु	प्रस्ताव को 27 दिसंबर 2005 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद दो बार अवधि बढ़ाई भी गई थी। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 26 दिसंबर 2008 तक वैध थी। विकासक ने यह कहते हुए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि टिडको की संयुक्त उद्यम कंपनी ने इस परियोजना के लिए प्राइवेट नेगोसिएशन के माध्यम से भूमि खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है तथा 2009 की पहली तिमाही तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। मुख्य रूप से इस परियोजना के लिए भूमियों के स्वामित्व के सत्यापन के कारण प्रापण में विलंब हुआ है।

4.	पुणे हाइटेक इनफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	इंजीनियरिंग, 109.89 हेक्टेयर	विंग एवं गुथालवाडी गांव, तहसील खांडला, जिला सतारा, महाराष्ट्र	25 अक्टूबर 2006 को प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद दो बार अवधि बढ़ाई भी गई थी। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 24 अक्टूबर 2009 तक वैध थी। विकासक ने यह कहते हुए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि को पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि इस समय लगभग 65 प्रतिशत भूमि पर उनका कब्जा है। उन्होंने 159.52 हेक्टेयर भूमि की खरीद के लिए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से मंजूरी भी प्राप्त की है। उन्होंने यह भी कहा है कि लगभग 95 हेक्टेयर की शेष जमीन खरीदने और अवसंरचना का विकास करने में उनकी सच्ची रुचि है। उन्होंने यह भी कहा है कि अर्थव्यवस्था में मंदी से विकासक को उपलब्ध तरलता प्रभावित हो रही है।

मद संख्या 36.15 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपनी 12वीं बैठक में निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई थीं :

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि ऐसे सभी मामले जहां :

(i) **अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध एलओए की अवधि समाप्त होने से पूर्व दाखिल किए जाने चाहिए तथा**

(ii) **जहां भूमि अधिग्रहण / क्रय आदि जैसे प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए हैं,**

उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने वाले ऐसे सभी मामलों में मूल वैधता अवधि के बाद एक और साल के लिए मंजूरी पत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

जैसा कि नीचे बताया गया है, निम्नलिखित 1 मामला उपर्युक्त मापदंडों को पूरा नहीं करता है तथा पहली बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत हैं :

(i) कांडला, गुजरात में एफटीडब्ल्यूज़ेड एसईजेड के सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एलएमजे वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड के विकास के लिए एलओए दिनांक 11 जनवरी 2008 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक ने यह कहते हुए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि उन्होंने गुजरात सरकार को भूमि के ब्यौरे तथा अन्य अपेक्षित सूचनाएं प्रस्तुत की है और स्थानीय स्तर पर

कुछ समस्याओं के कारण नियत अवधि में कार्यों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। विकासक का अनुरोध 23 **जुलाई** 2009 **को अर्थात सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद प्राप्त हुआ। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

मद संख्या 36.16 : सरकारी / रक्षा उपक्रम की डीटीए यूनिट से जॉब वर्क प्रोसेसिंग के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने हेतु मैसर्स एसई फोर्ज लिमिटेड, बड़ोदरा, गुजरात में मैसर्स सुजलोन इंजीनियरिंग एसईजेड द्वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

मैसर्स एसई फोर्ज लिमिटेड फोर्जिंग रिंग के निर्माण और निर्यात के लिए बड़ोदरा, गुजरात में मैसर्स सुजलोन इंजीनियरिंग एसईजेड द्वारा इंजीनियरिंग के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में यूनिट के रूप में अनुमोदित था। विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने मिश्र धातु लिमिटेड (मिधानी) (भारत सरकार का उपक्रम) जो डीटीए यूनिट है, नामक सरकारी उपक्रम से आर्डर प्राप्त किया है क्योंकि वे एसईजेड में डीटीए यूनिट के लिए जॉब वर्क करने और डीटीए के लिए परवर्ती स्वीकृति चाहते हैं। विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड ने यह भी कहा है कि एसईजेड नियमावली 2006 **के नियम** 43 **के अनुसार कोई एसईजेड यूनिट डीटीए यूनिट / निर्यातक की ओर से सब कंट्रेक्टिंग (जॉब वर्क) कर सकती है परंतु उक्त माल का निर्यात सीधे एसईजेड से होना चाहिए।**

11 **अगस्त** 2009 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया। प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया क्योंकि राजस्व विभाग ने कहा कि इस समय एसईजेड नियमावली के तहत प्रस्ताव को शामिल नहीं किया जा सकता है। तथापि, मिधानी की आवश्यकता के कारण प्रस्ताव की संवेदनशीलता को देखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध की अहमियत निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव का आकलन करने के लिए विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड से अनुरोध करने का निर्णय लिया। विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड से रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है जिसमें कहा गया है कि ये उपकरण रक्षा मंत्रालय की एटीवीपी परियोजना के लिए हैं और राजस्व विभाग में इस परियोजना के लिए किसी वस्तु के आयात पर आयात शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की है। तथापि, चूंकि यह यूनिट डीटीए में है इसलिए मौजूदा एसईजेड नियमावली के तहत यूनिट एसई फोर्ज से उत्पाद प्राप्त नहीं कर सकती है क्योंकि इस समय कोई समर्थकारी प्रावधान नहीं है। विकास आयुक्त ने यह भी कहा है कि अतीत में मिधानी ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई तदर्थ अनुमति के आधार पर जॉब वर्क के लिए भारत से बाहर सामग्री भेजी थी। उल्लेखनीय है कि हमने एक नया उप नियम शामिल करके एसईजेड नियमावली के नियम** 43 **में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है जिससे डीटीए यूनिटों के लिए एसईजेड यूनिटों द्वारा जॉब वर्क करना संभव होगा। अन्य संशोधनों के साथ यह संशोधन वेटिंग के लिए विधि मंत्रालय को भेजा गया है। जब यह संशोधन**

अधिसूचित हो जाएगा तो यह एसई फोर्ज लिमिटेड को मिधानी के लिए जॉब वर्क करने में समर्थ बनाएगा। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 36.17 : मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड, हजीरा, गुजरात में एस्सार एसईजेड की यूनिट द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण

मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड हॉट ब्रिकिटेड आयरन / डायरेक्टेड रिड्यूस्ड आयरन का उत्पादन कर रहा है और हजीरा, गुजरात में एस्सार एसईजेड में स्थित है तथा 64 **प्रतिशत से अधिक आयरन की मात्रा वाले फाइन और आयरन का निर्यात करने के लिए अनुरोध किया है जिसका उत्पादन प्रक्रिया के दौरान निर्माण होता है। यूनिट ने कहा है कि उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त कच्चा माल आयरन ओर, पैलेट और और कैलिब्रेटेड लंप ओर है। दोनों कच्चे माल में फेरस की मात्रा** 66 **प्रतिशत से अधिक है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ब्रोकन पेलेट चिप्स तथा फाइन जैसे उपोत्पाद सृजित होते हैं जिनकी मात्रा** 7 **से** 8 **प्रतिशत होती है और विनिर्माण प्रक्रिया में उनका प्रयोग नहीं हो सकता है। घरेलू प्रयोक्ताओं द्वारा भी उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे अपशिष्ट / उपोत्पाद की कुल मात्रा लगभग** 250000 **मीट्रिक टन होगी तथा फेरस की मात्रा** 66 **प्रतिशत से अधिक होती है। चूंकि एसईजेड नियमावली का नियम** 18 (3) **(क) हाई ग्रेड आयरन ओर अर्थात** 64 **प्रतिशत फेरस एवं अधिक के निर्यात को निबंधित करता है इसलिए जीओए मूल एवं रेडी मूल के आयरन ओर को छोड़कर निर्यात अनुमोदन बोर्ड के अधीन होगा, इसलिए उन्होंने उपर्युक्त उत्पाद / अपशिष्ट के निर्यात के लिए अनुमोदन बोर्ड की अनुमति मांगी है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे अपशिष्ट / उपोत्पाद के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन लगभग** 30-35 **मिलियन अमरीकी डालर होगा** (250000 **मीट्रिक टन के निर्यात से)। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

अनुबंध क

ड्राफ्ट डिफाल्ट सूची (कार्यसूची की बिंदु संख्या 36.2)	
क्र. सं.	**कर योग्य सेवाएं**
1.	**सामान्य बीमा**
2.	**कूरियर**
3.	**कंसल्टिंग इंजीनियर**
4.	**कस्टम हाउस एजेंट**
5.	**क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग एजेंट**
6.	**जनशक्ति भर्ती एवं आपूर्ति एजेंसी**
7.	**प्रबंध अथवा व्यापार सलाहकार**
8.	**सनदी लेखाकार**
9.	**लागत लेखाकर**
10.	**कंपनी सचिव**
11.	**वैज्ञानिक एवं तकनीकी कंसल्टेंसी**
12.	**सामान्य बीमा बिजनेस से संबंधित बीमा सहायक सेवाएं**
13.	**बैंकिंग अथवा वित्तीय सेवाएं**
14.	**पोर्ट**
15.	**कार्गो हैंडलिंग**
16.	**स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग**
17.	**बिजनेस सहायक सेवा**
18.	**प्रबंध, अनुरक्षण अथवा रख रखाव**
19.	**तकनीकी जांच एवं विश्लेषण**
20.	**तकनीकी निरीक्षण एवं प्रमाणन**
21.	**एयरक्राफ्ट द्वारा सामानों की ढुलाई**
22.	**रोड द्वारा सामानों की ढुलाई**
23.	**रेल द्वारा कंटेनर में सामानों की ढुलाई**